



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239384
CG-DL-E-06102022-239384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4549]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944

No. 4549]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4759(अ).—केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इराक संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

- (1) इस आदेश का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इराक संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन (पांचवा संशोधन) आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इराक संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन आदेश, 2016 की अनुसूची के अनुबंध 2 में शीर्षक "क. व्यक्ति" के अधीन पैरा आईक्यूआई.077 और इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू. II/152/32/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2272(अ), तारीख 01 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3208(अ), तारीख 15 जुलाई 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4759(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, namely :-

1. (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq (Fifth Amendment) Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 2, under the heading “A. Individuals”, paragraph IQi.077 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. U.II/152/32/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2272(E), dated the 1st July, 2016 and lastly amended *vide* notification number S.O. 3208 (E), dated the 15th July, 2022.